(116)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भू.रा./2017/4141 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.09.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 498/अपील/2015-16.

खीमा पिता माना मोरी
निवासी- ग्राम कागझर
तह. व जिला झाबुआ, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. हनीफ पिता अब्दुल रहीम शेख
2. सिद्धिक पिता अब्दुल रहीम शेख
   दोनों निवासी- कुमारवाड़ा मोहल्ला,
   झाबुआ, जिला झाबुआ, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 21.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम तहसील झाबुआ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 44 एवं 34 कुल रकबा 2.242 हैक्टेयर मिसल बंदोबस्त के दौरान पुराना सर्वे नम्बर 34 नवीन सर्वे नंबर 270 रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि उनके नाम से कम कर अन्य के नाम त्रुटिवश इंद्राज होने से म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के तहत रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ-74/2010-11 दर्ज कर दिनांक 20.11.2012 के द्वारा अनावेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अपर कलेक्टर, झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21.02.2013 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर पुनः जांच करवाकर गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2015 को आदेश पारित करते कर प्रकरण अपर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह तथ्यों की स्वयं जांच कर उभय पक्ष को साक्ष्य का अवसर देने के पश्चात् गुण-दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करे। राजस्व मंडल से प्रकरण प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 11.08.2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नक्शे में सुधार संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार बावत आदेश को स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21.09.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमो के आधार पर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 165 एवं

170(ख) में दिये गये नियमों एवं प्रावधानों पर बिना कोई विचार किये बिना उक्त नियमोंएवं प्रावधानों के अनुसार सम्यक् रूप से प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जे एवं अंतरण के संबंध में विधिवत कोई जांच किये आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अनावेदकगण द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक16/6 (नया नंबर 34) (वर्तमान नंबर 270) के स्वामित्व संबंधी कोई भी उनके पक्ष में निष्पादित विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी मात्र अनावेदकगण द्वारा उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में कपटपूर्वक दर्ज करवाये गये उनके नाम के आधार पर आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व अभिलेखों में बिना किसी विधिक अधिकार के दर्ज कराये गये नाम से कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इस वैधानिक तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि अनावेदकगण को आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नंबर 16/6 में कोई हित या स्वत्व नहीं होने से उन्हें उक्त भूमि बावत किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही करने का कानून से कोई हक नहीं होने से उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य था। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने मूल सर्वे नंबर 16/5 एवं 16/6 के मूल आदिवासी भू-स्वामियों का आवेदक निकटतम रिश्तेदार होने संबंधी बिना कोई जांच किये आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में स्वयं बिना कोई जांच किये, बिना कोई साक्ष्य लिए राजस्व मण्डल के प्रत्यावर्तन आदेश की अवहेलना स्वरूप विधि विरूद्ध आदेश पारित किया था, जिसे यथावत रखे जाने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की गंभीर भूल की है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित हैं, जो कि स्थिर रखे

जाने योग्य हैं। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अनावेदक द्वारा संहिता की धारा-89 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ के न्यायालय में प्रारंभ हुआ और राजस्व मंडल तक आया। राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2568-पीबीआर/2013 में दिनांक 24.03.2015 को पारित आदेश द्वारा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण अपर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह त्थ्यों की स्वयं जांच कर उभयपक्षों को साक्ष्य का अवसर देने के उपरांत गुण-दोष पर उसका निराकरण करें। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि राजस्व मंडल से प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर द्वारा स्वयं किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है और ना ही कोई साक्ष्य ली गई है । इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 165 एवं धारा 170-ख के प्रावधानों पर कोई विचार नहीं किया गया है । दर्शित परिस्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि सुधार बावत पूर्व में पारित आदेश की पुष्टि करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा भी उक्त तथ्यों एवं उनके समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेखा करते हुए अपर कलेक्टर के त्रुटिपूर्ण आदेश को स्थिर रखा गया है, इस कारण उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-9-17 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-8-16 निरस्त किये जाते हैं एवं यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अपर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि राजस्व मंडल द्वारा पूर्व में निगरानी

प्रकरण क्रमांक 2568-पीबीआर/2013 में दिनांक 24.03.2015 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में स्वयं जांच करें तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए एवं उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर